संख्या- 190/2018/2373/71-1-2018-जी0-9/2018

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 जुलाई, 2018

विषय:- क्वालिटी काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयो में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ. किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/924, दिनांक 22-03-2018 के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयो में चिकित्सकीय अवस्थापना सुविधाओं जैसे लाण्ड्री, साफ-सफाई, स्टरलाइजेशन एवं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल आउट सोर्स किये जाने हेतु आपके एवं क्वालिटी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के मध्य हस्ताक्षरित हुए एम0ओ0यू0 के आधार पर राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में चिकित्सकीय अवस्थापना सुविधाओं को आउट सोर्स किये जाने हेतु शासकीय अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके एवं क्वालिटी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के मध्य हस्ताक्षरित हुए एम0ओ0यू0 के आधार पर राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में चिकित्सकीय अवस्थापना सुविधाओं जैसे लाण्ड्री, साफ-सफाई, स्टरलाइजेशन एवं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल आदि को आउट सोर्स किये जाने की शासकीय अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

3- आउट सोर्सिंग के संबंध में अन्य दिशा निर्देश शासन स्तर से शीघ्र निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या:-190/2018/2373(1)/71-1-2018- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महासिचव, क्वालिटी काउंसिल आफ इण्डिया, द्वितीय तल, इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स बिल्डिंग-2, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, इलाहाबाद एवं गोरखपुर।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in